

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटडी (भीलवाड़ा)

पीठसीन अधिकारी :- श्री भागीरथ साख, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 33/2017

प्रा.प. अन्तर्गत धारा 111,128 रा.भू.रा.अधि.1956

अनवान

श्री राजू पिता नन्दा गुजर जाति गुजर उम्र वयस्क निवासी फलासेड तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) प्रार्थी

बनाम

1. रतन पिता राजू गुजर उम्र वयस्क निवासी फलासेड तहसील कोटडी
2. बाली पत्नि रायमल गुजर उम्र वयस्क निवासी फलासेड तहसील कोटडी
3. घीसू पिता कल्याण गुजर उम्र वयस्क निवासी फलासेड तहसील कोटडी
4. रामचन्द्र पिता लादु गुजर उम्र वयस्क निवासी फलासेड तहसील कोटडी
5. रतना पिता खाना गुजर उम्र वयस्क निवासी फलासेड तहसील कोटडी
6. प्यारी पत्नि भगवान गुजर उम्र वयस्क निवासी फलासेड तहसील कोटडी
7. रावता पिता कालू गुजर उम्र वयस्क निवासी फलासेड तहसील कोटडी
8. नारायण पिता खाना गुजर उम्र वयस्क निवासी फलासेड तहसील कोटडी
9. जयलाल पिता भोजा गुजर उम्र वयस्क निवासी फलासेड तहसील कोटडी
10. मिट्टु पिता देबी गुजर उम्र वयस्क निवासी फलासेड तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कोटडी तहसील कोटडी

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

--: आदेश :-

दिनांक 11/02/2017.....

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस न्यायालय में दिनांक 11/02/2017 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम फलासेड पटवार हल्का रासेड भू.अ.नि. क्षेत्र बीरघोल तहसील कोटडी में खाता संख्या 154 में आराजी संख्या 54, 133, 166, 167, 169, 286, 296, 303, 305, 319, 340, 500/305, 562/176 कुल कीता 13 रकबा 21 बीघा 11 बिस्वा भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते/सयुक्त खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया एवं प्रकरण केवल सीमा संबंधी है जिससे किसी का कोई हक प्रभावित नही होता है। विपक्षीगण का कोई हक प्रभावित नही होता है। खातेदारी हक प्रार्थी का है इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने के आदेश प्रदत्त किये जाते हैं एवं संबंधित भू.अ.निरीक्षक बीरघोल को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर उभयपक्ष को सुचित करने के उपरान्त पालना रिपोर्ट मार्फत तहसीलदार कोटडी के तलब की जावें।

--: आदेश :-

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि तहसील कोटडी के वाके ग्राम फलासेड पटवार हल्का रासेड भू.अ.नि. क्षेत्र बीरघोल तहसील कोटडी में खाता संख्या 154 में आराजी संख्या 54, 133, 166, 167, 169, 286, 296, 303, 305, 319, 340, 500/305, 562/176 कुल कीता 13 रकबा 21 बीघा 11 बिस्वा भूमि पर पत्थरगढी उभयपक्षकारान को सुचित किया जाकर बाद तिथी निर्धारण के पत्थरगढी की जावें। प्रार्थी इस कार्य के लिए कमिश्नर फीस तहसीलदार कोटडी के निर्देशानुसार राशि 1100 रुपये वक्त पत्थरगढी कमिश्नर भू.अ.निरीक्षक को जमा करायेगा। खर्चा राशि जमा होने पर भू.अ.निरीक्षक द्वारा पत्थरगढी की जाकर पालना करे।

अधिक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
कोटडी जिला-भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार कोटडी को भेजकर लेख है कि आवेदक की पत्थरगढी कराकर खातें खोम में चालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

अधिक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
कोटडी जिला-भीलवाड़ा